UPPB010024962026

न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत

पीठासीन अधिकारीः रविन्द्र कुमार–चतुर्थ, एच0जे0एस0–UPID2014

प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–975/2026

मान सिंह पुत्र राजेन्द्र, निवासी ग्राम–सिमरा, थाना–बीसलपुर, जिला–पीलीभीत।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 सरकार ..... अभियोगी

मुकदमा अपराध संख्या–234/2026,
धारा–109(1), 115(2), 352, 3(3) भा0 न्याय संहिता,
व धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम,
थाना–बीसलपुर, जनपद–पीलीभीत।

दिनांकः 15.06.2026

1. यह नियमित जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त मान सिंह की ओर से उपरोक्त मुकदमा अपराध, दिनांकित–18.05.2026, के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि दिनांक–17.05.2026 को समय करीब शाम 8:00 बजे सरकारी स्कूल के पास ओमपाल, छोटू, मान सिंह व इनके साथ एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वादी के गांव के बड़े पुत्र चन्द्रसेन के साथ मारपीट करते हुए उसके घर के सामने आ गये। शोर–शराबा सुनकर उसने समझाने का प्रयास किया परन्तु नहीं माने तथा उसके साथ गाली–गलौज कर जान से मारने की नीयत से मान सिंह ने अपने हाथ में लिए तमंचे से उसके सिर पर बट मारी तथा फायर किये जिससे वह बाल–बाल बच गया।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रस्तुत मामले में उसे रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसके पास से दर्शायी गयी बरामदगी फर्जी है। कथित बरामदगी एवं घटना का कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी नहीं है।वादी के शरी पर किसी आग्नेय–अस्त्र की अथवा किसी अन्य अस्त्र–शस्त्र की कोई चोट नहीं आई है। घटना रात्रि 8:00 बजे की दर्शायी गयी है जबकि रोशनी का कोई स्रोत नहीं दर्शाया गया है। मामले के सह अभियुक्त ओमपाल उर्फ उपदेश की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–09.06.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक–20.05.2026 से जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध है। अतः उसको जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी।

4. राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा को जान से मारने की नीयत से उसके सिर पर तमंचे की बट मारी तथा फायर किये जिससे उसके गम्भीर चोटें आई हैं तथा गन्दी–गन्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई है। आवेदक/अभियुक्त से तमंचे की बरामदगी की गई है। उसके द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गई।

5. आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्क सुने गये तथा प्रपत्रों का अवलोकन

Digitally signed by RAVINDRA KUMAR
Date: 2026.06.15 17:20:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

किया गया ।

6. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर सह–अभियुक्तगण के साथ एक राय होकर वादी मुकदमा को जान से मारने की नीयत से उसके सिर पर तमंचे की बट मारने तथा फायर करने और गन्दी–गन्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। मजरूब लेखराज की मेडिकल रिपोर्ट में उसके आयीं चोटें साधारण प्रकृति की होना अंकित है। मामला मारपीट से सम्बंधित है। मामले के सह अभियुक्त की जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। वर्तमान अभियुक्त का मामला भी जमानत पाये अभियुक्त से अलग नहीं है। आवेदक/अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक–20.05.2026 से जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध हैं। लिहाजा इन परिस्थितियों में यह अदालत आवेदक/अभियुक्त को जमानत पाने का हकदार मानती है। अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले के गुण–दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना इस न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त मान सिंह का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। उसके द्वारा अंकन 75,000/–(पिच्छहत्तर हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभूगण सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि अनुसार दाखिल करने पर निम्न शर्तानुसार उनको जमानत पर रिहा किया जाए–

1. वह विवेचना/विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।
2. वह आरोप तथा धारा 351 भा0ना0सु0सं0 के बयान जैसी सारवान तिथि पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।
3. वह किसी साक्षी को प्रलोभित तथा प्रकोपित नहीं करेगा।
4. वह जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेगा तो इसकी सूचना न्यायालय को देगा।

दिनांकः 15.06.2026

(रविन्द्र कुमार–चतुर्थ)
UPID2014
सत्र न्यायाधीश,
पीलीभीत